रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 327] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 1975/भाद्र 5, 1897
No. 327] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 1975/BHADRA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th August 1975

S.O. 451 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Import and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Nineteenth Amendment Order, 1975.

2. In the Exports (Control) Order 1968, O.G.L.3 after item No. 3(d) the following shall be added:

1	2	3	4
"3(e)	International Women's Year new development oriented design coins of the denomination of Rs. 50/- and Rs. 10/- in uncirculated quality and Paise 10 (production coin)	B.11	1. Minimum f.o.b. export price would be Rs. 60/-, Rs. 15/- and 25 Paise respectively per coin for Rs. 50/-, Rs. 10/- and 10 Paise coin in case export is of more than two coins each

1	2	3	4
			2. Proof coins (or proof set) of 1975 for commercial purposes will be permitted to be exported by India Govt. Mint Bombay only."

[No. E(C)O, 1968/AM(164)]

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1975

का० आ० 451(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 19 वां, संशोधन आदेश, 1975 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968, खुला सामान्य लाइसेंस 3, मद सं० 3 (डी) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए :—

1	2	3	4
"3(ई)	अप्रचलित क्वालिटी में 50 रुपए और 10 रुपए तथा 10 पैसे (उत्पादन सिक्के) के मूल्यमान में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष नए विकास अभिमुख डिजाइन के सिक्के।	बी० 11	1. 50 रुपए, 10 रुपए और 10 पैसे के सिक्कों के लिए प्रत्येक दो सिक्कों से अधिक सिक्कों के निर्यात के मामले में प्रत्येक सिक्के के लिए न्यूनतम जहाज पर निशुल्क निर्यात कीमत क्रमशः 60 रुपए, 15 रुपए तथा 25 पैसे होगी। 2. वाणिज्य प्रयोजनों के लिए 1975 के प्रूफ सिक्कों (या प्रूफ सेट) का निर्यात केवल भारत सरकार के टकसाल, बम्बई द्वारा ही किया जाएगा।'

[सं० ई० (सी) ओ, 1968 ए एम (164)]

बी० डी० कुमार
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975